

R 129- I 17

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /


विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम जाति गौड (आदिवासी)
निवासी- ग्राम डुंगरिय, थाना बरगी, तह. व जिला जबलपुर
विरुद्ध -

- अनावेदक -
1. श्री अशोक कुमार पटेल उम्र 41 वर्ष
पिता श्री तोडीलाल पटेल (गैर आदिवासी)
पता-म.नं. 23, पुरानी बस्ती कजरवारा तह. व जिला जबलपुर
 2. शेख जिलानी पिता शेख रसीद जिलानी जाति मुस्लिम (गैर आदिवासी)
निवासी-सुनाचर, तह. शहपुरा, जिला जबलपुर
 3. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा 35(4) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1. मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 36/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 16/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4) के तहत यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम जाति गौड (आदिवासी) निवासी- ग्राम डुंगरिय, थाना बरगी, तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम हिनौतिया प.ह.नं. 82 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 223/1 रकवा 0.580 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी 1. श्री अशोक कुमार पटेल उम्र 41 वर्ष पिता श्री तोडीलाल पटेल (गैर आदिवासी) पता-म.नं. 23, पुरानी बस्ती कजरवारा तह. व जिला जबलपुर 2. शेख जिलानी पिता शेख रसीद जिलानी जाति मुस्लिम (गैर आदिवासी) निवासी-सुनाचर, तह. शहपुरा, जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम सोहड प.ह.नं. 64 रा. नि.मं. बरगी तह. व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 384, 403, 408 रकवा क्रमशः 0.820, 0.380, 0.640 एवं ग्राम बरबटी प.ह.नं. 63, रा.नि.मं. बरगी तह. व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 380/418 रकवा 0.690 एवं ग्राम भैसवाही प.ह.नं. 60, रा. नि.मं. कुण्डम, खसरा नं. 654/1, 687/1 रकवा 0.260, 0.730 एवं ग्राम झिरिया प.ह.नं.



24 JAN 2017

R 129


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 422-एक/17

जिला - जबलपुर


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 16-1-17 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 16-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये। अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम हिनौतिया प.ह.नं. 82 रा.नि.मं. खमहरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 223/1 रकबा 0.580 हेक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक - 1/ गैर</p>	



नं. 422-1/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्ररनाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्ररनाधीन भूमियों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 4.640 हेक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्ररनाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम हिनौतिया प.ह.नं. 82 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 223/1 रकबा 0.580 हेक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक -1/ गैर आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ</p>	






XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 422-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।</p> <ol style="list-style-type: none">1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी ।3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । <p>अपील तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: center;"> (एमके0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</p>	

